न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना—पत्र संख्या : 4 / 2024 दायर दिनांकः 15.03.2024

GCMS NO:- 2024/40 पीठासीन अधिकारी :— श्रीमती प्रीति मीणा

बाबूलाल पुत्र शंकरया जाति मीणा नि0 ग्राम ढाढूण तहसील नैनवॉ।

—प्रार्थी—

बनाम

1. अशोक पुत्र राजू जाति मीणा नि0 ग्राम ढाढूण तहसील नैनवॉ।
2. प्रहलाद पुत्र देवा जाति मीणा नि0 ग्राम ढाढूण तहसील नैनवॉ।
3. बद्रीलाल पुत्र देवा जाति मीणा नि0 ग्राम ढाढूण तहसील नैनवॉ।
4. शोजी पुत्र राजू जाति मीणा नि0 ग्राम ढाढूण तहसील नैनवॉ।
5. सोना पुत्री राजू जाति मीणा नि0 ग्राम ढाढूण तहसील नैनवॉ।
6. सीता बाई पत्नी पर्वत सिंह जाति मीणा नि0 ग्राम ढाढूण तहसील नैनवॉ।
7. राजस्थान सरकार द्वारा भूमिधारी तहसीलदार साहब, नैनवॉ तहसील नैनवॉ।

—अप्रार्थीगण—

प्रार्थना पत्रः— अंतर्गत धारा 251क आर.टी एक्ट

उपस्थिति—

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री भारत भुषण गौत्तम।

अप्रार्थीगण सं, 2 लगायत 4 व 5 की ओर से अधिवक्ता श्री देवेन्द्र कुमार जैन।

निर्णय दिनांक 27.08.2025

:—निर्णय—:

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम ढाढूण प0म0 मोडसा तहसील नैनवॉ की खाता संख्या नया 214 पुराना 85 की कृषि भूमि खसरा नम्बर 989/750 रकबा 1.2520 हैक्टयर स्थित है जिसका रिकॉर्डेड खातेदार प्रार्थी बाबूलाल है।

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 989/750 पर आने जाने का, कृषि उपकरणों को लाने ले जाने का करीब 100 वर्षो पुराना रास्ता जो करीब 15 फीट चौडा बना हुआ था। ग्राम ढाढूण से आरम्भ होकर खसरा नम्बर 745 सिवायचक भूमि मे होता हुआ अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 916/745 व 917/745 की जमीन पर बना हुआ था जिसको सन् 2009 मे अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 6 द्वारा डोल लगाकर अवरूद्व कर दिया था। प्रार्थी व अन्य सहखातेदारान ने अप्रार्थीगण के विरूद्व एक वाद स्थायी व आदेशात्मक निषेधाज्ञा का न्यायालय श्रीमान सिविल न्यायाधीश महोदय, (क.ख.) नैनवॉ के यहां प्रस्तुत किया था जिसका शीर्षक बाबूलाल आदि बनाम देवा आदि से एवं जिसकी संख्या 24/2009 थी, प्रस्तुत किया था जो दिनांक 01.03.2013 को निस्तारित किया था। वाद खारिज होने के उपरान्त प्रार्थी व अन्य सहखातेदारान ने माननीय न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 01.03.2013 के विरूद्व अपील माननीय न्यायालय अति0 जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, नैनवॉ के यहां अपील संख्या 41/2021 बाबूलाल आदि बनाम देवा आदि के शीर्षक से प्रस्तुत की जो दिनांक 28.10.2023 को निर्णित की गयी जिसमे निर्देशित फरमाया गया था कि वादीगण की याचना पर सद्भाविक दृष्टिकोण से विचार करते हुए मामले मे उपखण्ड मजिस्ट्रेट नैनवॉ को निर्देश दिया जाता है कि वे दोनों पक्षकारों के बिच मे जो रास्ते का विवाद है। उक्त संबंध मे पक्षकारान द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर विधि अनुसार निस्तारण किया जावे।

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे जाने हेतु ग्राम ढाढूण से आने जाने, कृषि उपकरणों को लाने ले जाने हेतु कोई भी मार्ग उपलब्ध नही है जिससे प्रार्थी ग्राम ढाढूण से चलकर अप्रार्थीगण के खाते की भूमि खसरा संख्या 916/745, 917/745 एवं सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 45/851 एवं 751 मे होकर कम से कम 20 फीट चौडा रास्ता परिशिष्ट अ मे वर्णित लाल स्याही से बताये गए मार्ग ब स द नवीन रास्ता प्रार्थी को उपलब्ध करवाया जाना न्यायहित मे अत्यन्त आवश्यक है जिसके अधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। रास्ते मे आने वाली भूमि का प्रतिकर प्रार्थी नियमानुसार जमा करवाने को तैयार है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री अतुल कुमार जैन द्वारा दिनांक 08.1.2025 को अन्डरटेकींग ली गयी जिसके बाद आदिनांक तक उनके द्वारा वकालातनामा पेश नही किया गया जिससे अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 4 एवं 6 की ओर से अधिवक्ता श्री देवेन्द्र कुमार जैन द्वारा दिनांक 08.01.2025 को वकालातनामा पेश किया गया था लेकिन उनके द्वारा आदिनांक तक जवाब प्रार्थना पत्र पेश नही किया गया। चुंकि धारा 251क एक समरी ट्रायल प्रार्थना पत्र है लेकिन विद्वान अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश नही किया जा रहा जिससे जवाब पेश करने की मोहलत बंद की जाती है। अप्राथ्री संख्या 5 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्व दिनांक 06.5.2025 को एकपक्षीय कार्यवाही की जा चुकी है। अप्रार्थी संख्या 7 तहसीलदार नैनवॉ की रिपोर्ट पत्रांक/राजस्व/2025/342 दिनांक 24.07.2025 से प्राप्त हो चुकी है।

बहस प्रार्थना पत्र सूनी गयी। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम ढाढूण मे स्थित प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 989/750 पर जाने के लिए ग्राम ढाढूण से आरम्भ होकर खसरा नम्बर 745/851 एवं 751 सिवायचक भूमि मे होता हुआ अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 916/745 व 917/745 मे से परिशिष्ट अ मे दर्शाये रास्ते अनुसार रास्ता दिया जावे अथवा श्रीमान तहसीलदार साहब नैनवॉ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 24.07.2025 अनुसार भी यदि प्रार्थी को रास्ता दिया जाता है, तो कोई आपत्ती नही होगी।

हमने प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गयी बहस को ध्यानपूर्वक सूना। पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजो, तहसीलदार नैनवॉ की रिपोर्ट आदि का अवलोकन किया तथा पाया कि प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 989/750 पर जाने के लिए वर्तमान मे कोई रास्ता उपलब्ध नही होने से तहसीलदार नैनवॉ द्वारा प्रेषित रिपोर्ट दिनांक 24.07.2025 के अनुसार प्रस्तावित 3 रास्तो मे से सर्वाधिक निकटतम एवं सुलभ रास्ता जो प्रार्थी द्वारा किये जा रहे आवागमन अनुसार खाल के सहारे सहारे निकल रहे प्रचलित रास्ते से खसरा नम्बर 751 मे से रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत होता है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नैनवॉ की रिपोर्ट दिनांक 24.07.2025 के अनुसार ग्राम ढाढूण स्थित प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 989/750 पर जाने के लिए खसरा नम्बर 682 से मौके पर निकल रहे प्रचलित रास्ता से खसरा नम्बर 751 मे से निम्नानुसार रास्ता दिये जाने के आदेश दिया जाकर नक्शा ट्रेस जिसमे रास्ता दर्शाया गया है, को परिशिष्ट **क** नाम दिया गया है, जो इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा।

रास्ते में प्रयुक्त होने वाली भूमि का विवरणः—

खसरा नं0	**खातेदार**	**किस्म**	**लम्बाई**	**x**	**चौडाई**	**क्षेत्रफल**
751	सिवायचक (सरकारी)	बंजड	462 फीट	x	15 फीट	6930 वर्गफीट

अर्थात 0.0644 हैक्टयर

कुल क्षेत्रफल = 6930 वर्गफीट या 0.0644 हैक्टयर

तहसीलदार नैनवॉ को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार प्रतिकर राशि राजकोष में जमा होने के उपरांत परिशिष्ट क के अनुसार रास्ता राजस्व रिकॅार्ड में दर्ज कर मौके पर रास्ता बहाल करें। निर्णय आज दिनांक 27.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड़ अधिकारी
नैंनवा

नजरी नक्शा ग्राम दाढूंग तहसील नैनवां (बून्दी)

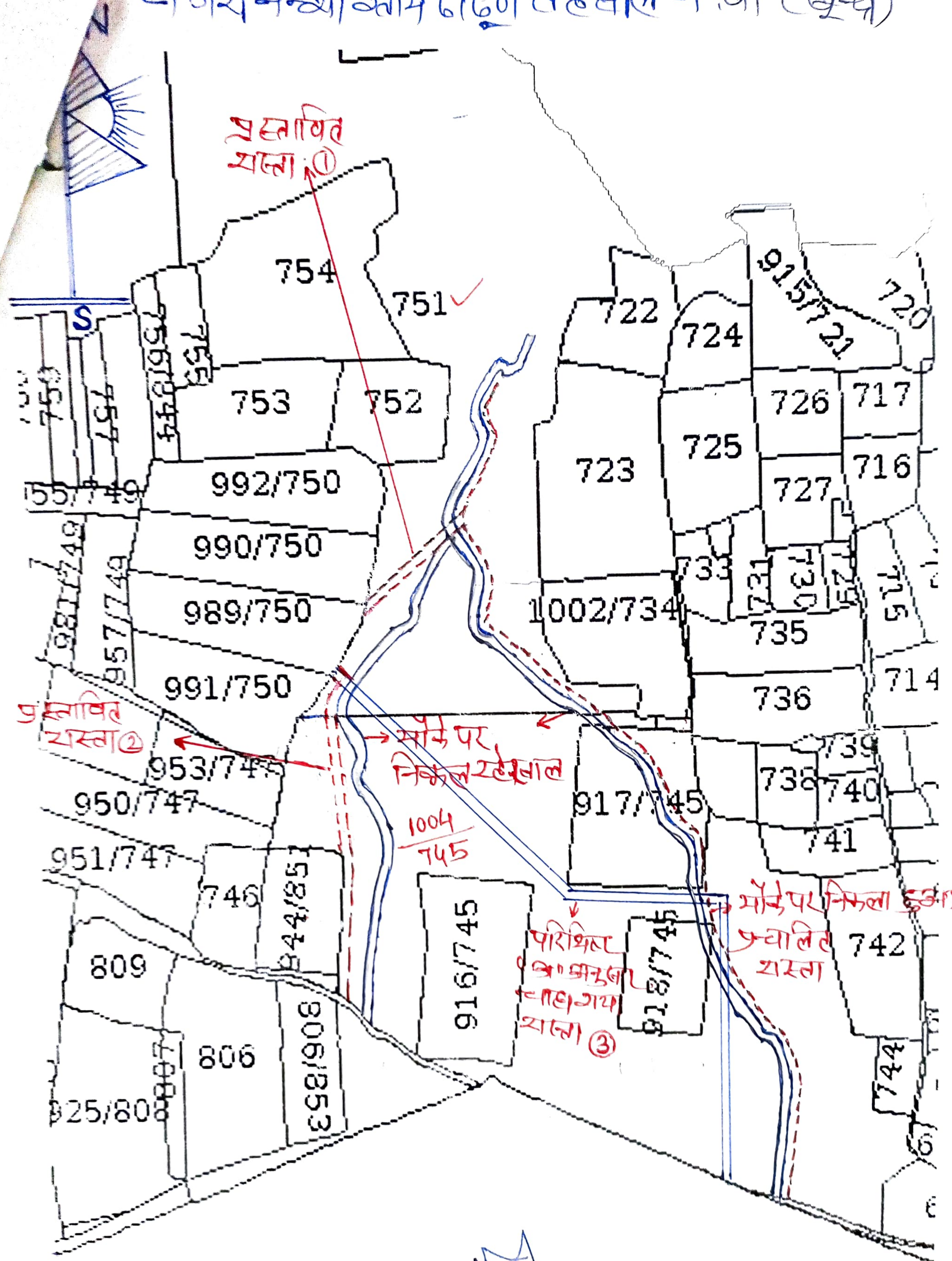

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बूंदी)